

महत्वपूर्ण सूचना
केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/६२६, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०००२३
(वेबसाइट-www.csbc.bih.nic.in)

विज्ञापन संख्या ०५/२०१९ के अंतर्गत बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर चयन हेतु “वाहन चालन दक्षता परीक्षा” संबंधी सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या ०५/२०१९ के आलोक में लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) दिनांक ०८.१२.२०२१ से शहीद राजेन्द्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय (पटना हाई स्कूल), गर्दनीबाग, पटना-८००००२ में आयोजित की जायेगी।

२. वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) हेतु प्रवेश-पत्र दिनांक ३०.११.२०२१ से पर्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर “Bihar Police” टैब के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा।

३. जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई-प्रवेश-पत्र Download नहीं कर सके वे दिनांक ०३ दिसम्बर, २०२१ एवं ०४ दिसम्बर, २०२१ को केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के बैंक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना-८००००१ स्थित कार्यालय से पूर्वाहन १०:०० बजे से संध्या ०५:०० बजे तक अपना डुप्लिकेट प्रवेश-पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं। स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

४. चयनित अभ्यर्थियों की वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) हेतु तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश-पत्र पर दर्ज होगी।

५. वाहन चालन दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि/समय में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

६. वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

७. वाहन चालन दक्षता परीक्षा (DET) के अवसर पर चयनित अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर अंकित स्थान/तिथि/समय पर, प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त निम्नांकित मूल प्रमाण-पत्रों / अनुज्ञाप्ति के साथ उपस्थित होंगे :

- i. वैध फोटोयुक्त पहचान-पत्र (जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस आदि) (मूल में)।
 - ii. विज्ञापन की तिथि २९.११.२०१९ से कम से कम एक (०१) वर्ष पूर्व अर्थात् (२९.११.२०१८ तक निर्गत हल्का मोटर वाहन (LMV)/ भारी मोटर वाहन (HMV) की चालन अनुज्ञाप्ति (मूल में)।
 - iii. कोविड- १९ वेक्सीनेशन प्रमाण-पत्र।
८. सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या-०५/२०१९ में वर्णित सभी शर्तों / प्रावधानों को संपुष्ट करना अनिवार्य होगा। वाहन चालन दक्षता परीक्षा में भाग लेना औपबंधिक है, अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
९. किसी भी विवाद में अध्यक्ष, केन्द्रीय चयन पर्षद का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
१०. प्रेस में मुद्रण अथवा टाईपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए पर्षद उत्तरदायी नहीं होगा।
११. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें।

ह०/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार, पटना

ज्ञापांक ४७ /के०च०प०(सू०)

दिनांक १५/११/२०२१

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) का कार्यालय,

सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/६२६,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-८०००२३